न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 309/2016/223 आर टी ए

1. मामराज पुत्र खिराज जाति जाट निवासी ढाणी माहेला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. रामप्रताप पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी ढाणी माहेला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी दुलपुरा पोओ0भूटा का वास तहसील व जिला झूंझनु।
2. विधाधर पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी दुलपुरा पोओ0भूटा का वास तहसील व जिला झूंझनु।
3. मु0 पतासी पत्नि मंगलाराम पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी बाड़की तहसील व जिला चूरू।
4. मु0 प्रेमा पत्नि रूपराम पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी बाड़की तहसील व जिला चूरू।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. सजना पत्नि लिछमण जाति जाट निवासी ढाणी माहेला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. सुरेन्द्र पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी ढाणी माहेला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. विमला पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी ढाणी माहेला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. सिलोचना पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी ढाणी माहेला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. कृष्णा पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी ढाणी माहेला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. राममूर्ति पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी ढाणी माहेला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2005 न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर प्र0सं0 21/2003 अनवानी मामराज बनाम प्रतापसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलांटस

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 4

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांकः–22.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 6 ता 11 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए का पेश किया। जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 4 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दावा खारिज किये जाने का कथन किया तथा रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के

आधार पर निर्णय दिनांक 23.03.2005 के जरिये दावा खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया था व विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 ता 4 ने धारा 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके रेस्जयूडिकेटा के आधार अपीलांट का वाद खारिज करने हेतु कथन किया था। विचारण न्यायालय ने पूर्व वाद भूराराम बनाम मामराज वाद सं. 160/81 दिनांक 09.07.1982 को डिक्री होने व उक्त वाद एवं वर्तमान वाद मे वादग्रस्त भूमि व पक्षकार समान होने के आधार अपीलांट का वाद खारिज किया है जबकि विधि का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि रेस्जयूडिकेटा का प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसका निस्तारण जवाब दावा प्रस्तुत होकर व विवाधक कायम करके एवं विवाधको पर दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर निर्धारण किया जा सकता है परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद मे वर्णित वादग्रस्त भूमि सम्वत 2012 से नौतोड़ की गई होने व प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणा चाही थी जबकि पूर्व वाद मे रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के पूर्वज भूराराम के द्वारा आवंटन के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही थी व आवंटन के विरूद्ध रेस्पो0 स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि आवंटन के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील लम्बित है इस प्रकार दोनो वादो मे घोषणा अलग अलग आधार पर चाही गई है। दोनो वादो के तथ्य अलग अलग होने के कारण रेस्जयूडिकेटा के सिद्धांत का निर्धारण वाद मे विवाधक कायम करके दोनो पक्षो की साक्ष्य होने के पश्चात ही किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधि की स्थिति के विपरीत केवल मात्र धारा 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर ही अपीलांट का वाद अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खारिज किया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद व पूर्व वाद के पक्षकार एवं वादग्रस्त भूमि एक समान होने के आधार पर रेस्जयूडिकेटा का सिद्धांत लागू नही हो सकता क्योंकि दोनो वादो मे अलग अलग अनुतोष चाहा गया है व दोनो वाद के तथ्य भी अलग अलग है रेस्जयूडिकेटा के सिद्धांत के तथ्यो का निर्धारण केवल मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर नही किया जा सकता इसलिये अपीलाधीन निर्णय खारिज योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का सम्वत 2012 से लगातार कब्जा चला आ रहा है व रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के पूर्वज भूराराम को वादग्रस्त भूमि का आवंटन सन् 1968 मे किया गया था। आवंटन के पश्चात भूराराम को कभी भी विधिवत रूप से कब्जा नही दिया गया। भूराराम नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकन सर्वप्रथम जरिये इंतकाल सं. 819 दिनांक 04.06.1985 को अपीलांट मामराज व स्व. लिछमण के नाम से हटाकर भूराराम के नाम से दर्ज किया गया था परन्तु उक्त इंतकाल मे पटवारी हल्का ने स्पष्ट नोट किया कि भूराराम का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है व उक्त इंतकाल के पश्चात भूमि पुनः रकबाराज कर दी गई व वाद मे जरिये इंतकाल सं. 148 दिनांक 20.03.1997 के द्वारा पुनः भूमि भूराराम के नाम से दर्ज की गई है उक्त तमाम तथ्यों का निर्धारण दोनो पक्षो की साक्ष्य लेने के पश्चात ही निर्धारण किया जा सकता है। आवंटन आदेश के आधार पर भूराराम को भूमि का कब्जा दिया गया था अथवा नही व अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर कब्जा के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नही। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय उक्त विधिक स्थिति के विरूद्ध जो निर्णय पारित किया गया है वह अपास्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने एवं रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किये जाने का कथन किया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे RRT 2011 (I) 338, RRD 1994 P 214, RLW 1997 P 224, RBJ 2000 P 329, RRT 2001 (II) P 1304, RRT 2002(I) P 648, RRT 2010 (I) P 282, RBJ 2015 P 306, RLW 2016 (III) P 2499, RRT 2011 (II) P 1097, RRT 2008 (II) P 1041, RRT 2012 (I) P 386, DNJ 2016 (III) P 634 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन को अपास्त किया जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 4 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं पूर्व वाद के पक्षकार समान है अलग अलग नही है एवं भूमि भी समान है तथा वाद की विषय वस्तु भी समान है। इस प्रकार प्रकरण के पक्षकार एवं प्रकरण मे वर्णित भूमि एवं विषय वस्तु के कारण काफी वर्षो के पश्चात वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 व 14 मियाद अधिनियम मे उठाये बिन्दू कतई निराधार है। अपील के 11 वर्ष के अन्तराल को माफ किये जाने के युक्ति युक्त आधार

नही होने के कारण आवेदन पत्र दफा 5 व 14 मियाद अधिनियम खारिज योग्य है। अपीलांट मौजूदा प्रकरण मे तो रेस्पो0 के पिता भूराराम के आवंटन को निरस्ती हेतु कार्यवाही सतत् रूप से करता आ रहा है एवं उच्च न्यायालय तक पैरवी करता रहा है एवं डीबी स्पेशल अपील तो दिनांक 17.07.2013 को मियाद के बाहर होने के आधार पर ही खारिज हुई है। इसलिये अपीलांट यह अपील प्रस्तुति मे हुई देरी का यह आधार कतई नही ले सकता की वह ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से कानूनी जानकारी नही रखता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए दावा खारिज किया गया है। अपीलांट का यह तर्क कि ''रेस्जयूडिकेटा का प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसका निस्तारण जवाब दावा प्रस्तुत होकर व विवाधक कायम करके एवं विवाधको पर दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर निर्धारण किया जा सकता है परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।'' कतई गलत है। क्योंकि दीवानी संहिता के आदेश 20 नियम 5 के तहत सभी तनकीयात पर विस्तृत निर्णय पारित करना आवश्यक नही है, केवल मुख्य तनकी जिससे वाद का समुचित निर्णय हो जाता है पर ही विस्तृत निर्णय दिया जाना पर्याप्त है। वादग्रस्त भूमि के संबंध पूर्व वाद मे पारित निर्णय जब तक बहाल है अर्थात उक्त निर्णय खारिज नही हो जाता है तब तक वर्तमान प्रश्नगत दावा नही चल सकता है क्योंकि यह रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धांतो से प्रभावित होता है। अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस के अन्त रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे RRD 1987 P 574, RRD 1999 P 299, RRD 1993 P 440, RBJ 2001 P 106, RRD 2017 P 148, RRT 2009 P 946 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधिवक्ता रेस्पो0 एवं अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो के साथ संलग्न दस्तावेजात अपील के निस्तारण मे सहायक सिद्ध होने के

बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए दोनो प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते है।

7. अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 6 ता 11 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए का पेश किया। जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 4 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दावा खारिज किये जाने का कथन किया तथा रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णय दिनांक 23.03.2005 के जरिये दावा खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय मे अंकित किया है कि '' यह तथ्य तो यहां पूर्णतया साबित है कि विवादित भूमि जो वर्तमान वाद मे दर्ज है वही भूमि पूर्व वाद मे थी। जहां तक पक्षकारान का प्रश्न है तो पूर्व मे जो वाद था उसमे पक्षकार वर्तमान वाद मे दर्ज पक्षकारान के पितागण थे। इसी प्रकार प्रतिवादी के पितागण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था इसलिये पक्षकार भी समान है एंव प्रस्तुत निर्णय एवं पूर्व वाद दिनांक 09.07.81 से यह सिद्ध होता है कि प्रस्तुत वाद का निर्णय पूर्व मे हो चुका है। इसलिये इस वाद पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है। पूर्व मे प्रस्तुत वाद एवं वर्तमान वाद के न्यायालय भी समान है। इसलिये वर्तमान वाद एवं पूर्व वाद के पक्षकार, विवादित भूमि एवं विषय वस्तु एक समान है एवं पूर्व मे निर्णय हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है प्रस्तुत वाद पूर्व न्याय (रेसज्यूडिकेटा) के सिद्धांत पर खारिज किया जाता है।'' चूंकि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अपीलांट एवं रेस्पो. के पिता भूराराम के मध्य वाद प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उक्त वाद मे वादग्रस्त भूमि के संबंध मे निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि का रेस्पो0 के पिता भूराराम को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया है। उक्त निर्णय अन्तिम है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई है। पूर्व वाद रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के पिता भूराराम द्वारा अपीलांट के विरूद्ध पेश किया गया था जिसमे अपीलांट मामराज आदि द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होने का कथन किया गया तथा वादग्रस्त भूमि अपने नाम सही दर्ज होने का कथन किया गया। इस प्रकार पूर्व वाद एवं वर्तमान अपीलाधीन वाद मे वर्णित भूमि एवं पक्षकारान तथा विषयवस्तु समान है। पूर्व वाद मे वादग्रस्त से भूराराम द्वारा मामराज आदि का कलमजन करवाकर अपने नाम घोषणा करने का अनुतोष चाहा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया तथा अपीलाधीन वाद मे उसी वादग्रस्त भूमि से मामराज द्वारा भूराराम का नाम कलमजन करवाकर अपने नाम घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा गया। इस प्रकार सीपीसी 1908 की धारा 11 के वर्णित प्रावधानो के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाधक का विचारण नही करेगा जिसमे प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारो के बीच के या ऐसे पक्षकारो के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमे से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद मे भी ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमे ऐसा विवाधक वाद मे उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण मे सीपीसी 1908 की धारा 11 के उक्त सभी बिन्दू पूर्णतया लागू होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्जयूडिकेटा/पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होने के आधार पर प्ररकण मे विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2005 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official